

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-पंक०/10-जे०डी०/310(Vol-II)/2017/

दिनांक- 21/10/17

विषय:-परिवार नियोजन आईडिमिनिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के सापेक्ष नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/ गर्भधारण/ जटिलता के मामलों में क्षतिपूर्ति धनराशि के भुगतान हेतु सम्बन्धित जनपदों को धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है राज्य स्तर पर गठित "परिवार नियोजन इण्डेमिनिटी उपसमिति" की 13वीं बैठक दिनांक 28 सितम्बर 2017 को आपकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक में नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/ गर्भधारण/ जटिलता के मामलों में क्षतिपूर्ति धनराशि के भुगतान हेतु 32 जनपदों से प्राप्त वर्ष 2013-14 में गर्भधारण के 03, वर्ष 2014-15 में गर्भधारण के 25 वर्ष 2015-16 में गर्भधारण के 87, जटिलता के 01, वर्ष 2016-17 में गर्भधारण के 152, जटिलता के 03 व मृत्यु के 01 एवं वर्ष 2017-18 में गर्भधारण के 59 व जटिलता के 01 कुल 331 दावा प्रपत्रों का समिति द्वारा परीक्षण किया गया था।

समिति द्वारा 32 जनपदों से प्राप्त 331 दावा प्रपत्रों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय फैमिली प्लानिंग इण्डेमिनिटी समिति की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2013-14 में गर्भधारण के कुल 03 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 90,000/- (रु० नब्बे हजार मात्र), वर्ष 2014-15 में गर्भधारण के 16 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 4,80,000/- (रु० चार लाख अस्सी हजार मात्र), वर्ष 2015-16 में गर्भधारण के 57 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 17,10,000/- (रु० सत्तराह लाख दस हजार मात्र), वर्ष 2016-17 में गर्भधारण के 135 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 40,50,000/- (रु० चालीस लाख पचास हजार मात्र), जटिलता के 01 दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 25,000/- (रु० पच्चीस हजार मात्र) एवं मृत्यु के 01 दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 2,00,000/- (रु० दो लाख मात्र) एवं वर्ष 2017-18 में गर्भधारण के 53 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 15,90,000/- (रु० पन्द्रह लाख नब्बे हजार मात्र)। इस तरह गर्भधारण के 264 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 79,20,000/- (रु० उन्यासी लाख बीस हजार मात्र), जटिलता के 01 दावा प्रपत्र रु० 25,000/- (रु० पच्चीस हजार मात्र) एवं मृत्यु के 01 दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 2,00,000/- (रु० दो लाख मात्र) कुल 266 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 81,45,000/- (रु० इक्यासी लाख पैतालीस हजार मात्र) जनपदों को जनपदों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।